


राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

विविध निगरानी संख्या ..18/2017जिला.....हनुमानगढ़.....

उनवान – श्री बनारसी लाल पुत्र श्री मथुरादास मल्होत्रा बनाम राजस्थान सरकार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01.06.2017	<p style="text-align: center;"><u>एकलपीठ</u> <u>राजीव चौधरी, सदस्य</u></p> <p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक श्री हरदत्त सहारण एवं विद्वान उप राजकीय अभिभाषक श्री अनिल पोखरना उपस्थित।</p> <p>प्रार्थी अभिभाषक द्वारा प्रार्थना पत्र पेश करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा मूल निगरानी संख्या 1766/2016 जो कि दिनांक 22.08.2016 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारीज की गई थी, के विरुद्ध विविध प्रार्थना पत्र संख्या 98/2016 पेश किया गया, जिसे माननीय एकलपीठ ने अपने निर्णय दिनांक 22.03.2017 से 500/- हर्जे पर, राजकोष में जमा करने के निर्देश के साथ स्वीकार कर लिया गया। अभिभाषक का कथन है कि राजकोष में कोई मद न होने से यह हर्जे की जमा नहीं हो पा रही है। अतः इस राशि को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा करने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया।</p> <p>उपराजकीय अभिभाषक द्वारा इस पर कोई आपत्ति प्रकट नहीं की गई। अतः विविध विविध प्रार्थना पत्र 98/2016 के दिये गये आदेश दिनांक 22.03.2017 में संशोधन किया जाकर, राजकोष की जगह विधिक सेवा प्राधिकरण में 500/- हर्जे की राशि जमा कराने का आदेश दिया जाता है। उक्त राशि की जमा रसीद आने पर मूल निगरानी संख्या 1766/2016 को पुनः नम्बर पर लिया जाये।</p> <p style="text-align: center;">निर्णय सुनाया गया।</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर </div>	